ऑन लाईन नं. RCMS 2022/38

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 07/2022

1. जसपाल सिंह पुत्र अनोखसिंह जाति जटसिख निवासी गांव रोटावाली (चक 15 एल.एन. पी. सैकिण्ड–ए) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. प्रगट सिंह पुत्र अनोखसिंह जाति जटसिख निवासी गांव रोटावाली (चक 15 एल.एन.पी. सैकिण्ड–ए) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. मखन सिंह पुत्र अनोखसिंह जाति जटसिख निवासी गांव रोटावाली (चक 15 एल.एन.पी. सैकिण्ड–ए) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. अमनदीप कौर पत्नी पप्पू सिंह जाति जटसिख निवासी गांव रोटावाली (चक 15 एल.एन. पी. सैकिण्ड–ए) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. सुखराम पुत्र पेमाराम जाति नायक निवासी गांव रोटावाली (चक 15 एल.एन.पी. सैकिण्ड) तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल पुरानी आबादी (लेबर कोर्ट के पिछे) नजदीक माईकोवेव टावर के पास तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व निर्णय/आदेश श्रीमान तहसीलदार राजस्व (भू0अ0)श्रीगंगानगर दिनांक 25.03.2022 प्रकरण संख्या 01/2021 अनवानी प्रगट सिंह आदि बनाम सुखराम जिसके द्वारा अपीलार्थीगण की कृषि भूमि चक 15 एल.एन.पी. सैकिण्ड–ए के मुरब्बा नम्बर 25 व 45 प्रत्येक के किला नम्बर 1 से 5 में रास्ता मन्जूर ना होते हुए भी रास्ता चालू करने का आदेश दिया गया है। तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 25.03.2022 को निरस्त करने हेतु अपील धारा 225 आरटी एक्ट ।

उपस्थित :

1. श्री अरविन्द जाखड , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. जीतपाल सिंह सैनी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01

:: आदेश :: दिनांक :–03.06.2022

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2022 गलत व खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त करने लायक है क्योंकि इस आदेश दिनांक 25.03.2022 के द्वारा अपीलार्थीगण की कृषि भूमि में से यकायक रास्ता खुलवाने का आदेश दिया है और अपीलार्थीगण की कृषि भूमि व उसमें काश्त फसल की सुरक्षा की या बचाव और कोई ध्यान नहीं दिया गया होने के कारण निरस्त करने लायक है। सुखराम पुत्र स्व. श्री पेमाराम जाति नायक, निवासी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आरटीएक्ट का पेश कर मांग की कि उसकी कृषि भूमि वाके चक 15 एलएनपी सैकिण्ड (ए) में है उसकी भूमि में आने जाने का रास्ता खुलवाया जावें जबकि वास्तव में प्रार्थी सुखराम पुत्र श्री पैमाराम के नाम से स्वयं की कोई खातेदारी भूमि नहीं है और वह स्वयं पुरानी आबादी श्रीगंगानगर में रहता है पुरानी आबादी में ही उसका राशन कार्ड, आधार कार्ड, उसके वोट, उसका पहचान पत्र पुरानी आबादी के पते पर ही बने हुये है ऐसी सूरत में सुखराम को रास्ता खुलवाने का कोई अधिकार नहीं है। चक 15 एलएनपी सैकिण्ड (ए) की पंचायत मनफूलसिंहवाला लगती है इस पंचायत कार्यालय में भी सुखराम ने कोई दरखास्त नही दी तथा ना ही इस पंचायत से सुखराम ने कोई रिपोर्ट हासिल की फिर भी तहसीलदार श्रीगंगानगर ने पूर्व में दिनांक 07.04.2021 को रास्त खुलवाने का आदेश दिया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने श्रीमान न्यायालय में एक अपील पेश की जो कि दिनांक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

15.11.2021 को स्वीकार कर दोनों पक्षों को पूर्व सुनवाई का अवसर देकर व पूरे सबूत लेकर निर्णय करने का आदेश दिया मगर अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में पडौसी ग्राम पंचायत के सरपंचपति के प्रभाव में आकर व ग्राम पंचायत रोटावाली से रिपोर्ट लेकर रास्ता खुलवाने का आदेश दिनांक 25.03.2022 को दे दिया जबकि सम्बन्धित पंचायत मनफूलसिंहवाला के सरपंच से कोई रिपोर्ट नहीं ली गई ऐसी सूरत में इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण यह अपील निम्न आधारों पर श्रीमान जी के समक्ष पेश कर रहे है ।

1. सुखराम पुत्र स्व. श्री पेमाराम को यह रास्ता खुलवाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि सुखराम को इस चक 15 एलएनपी सैकिण्ड(ए) में कोई खातेदारी भूमि नहीं है ऐसी सूरत में सुखराम लेण्ड होल्डर नहीं है।
2. सम्बन्धित ग्राम पंचायत मनफूलसिंहवाला के कार्यालय में सुखराम ने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया और ना ही इस ग्राम पंचायत से सुखराम ने कोई रिपोर्ट हासिल की बल्कि एक अन्य पडौसी ग्राम पंचायत रोटावाली पंचायत समिति सादुलशहर से रिपोर्ट लेकर रास्ता खुलवाने का आदेश दिनांक 25.03.2022 को दिया गया है जो कि गलत व खिलाफ कानून है और निरस्त करने योग्य है।
3. इस कृषि भूमि 15 एलएनपी सैकिण्ड (ए) की ग्राम पंचायत मनफूलसिंहवाला के वर्तमान सरपंच की रिपोर्ट दिनांक 08.12.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में दिया गया था इस रिपोर्ट दिनांक 08.12.2021 के अनुसार चक 15 एलएनपी सैकिण्ड (ए) के मुरब्बा नम्बर 25 व 45 में से ना तो कोई रास्ता चालु है और ना ही कोई रास्ता मंजूर है, नकल पेश है, मगर इस रिपोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई जिकर नहीं किया जबकि रास्ता कभी चालु ही नहीं था तो रास्ता खुलवाने का आदेश पूर्णतया गलत है।
4. सुखराम ने कृषि भूमि में से नया रास्ता मंजूर करवाने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीएक्ट की भी श्रीमान एसडीओ साहब श्रीगंगानगर के यहां दे रखी है जिसका नम्बर 176/21 अनवानी सुखराम बनाम जसवंत सिंह आदि पेश कर रखी है जिसमें आगामी तारीख पेशी 25.03.2022 नियत थी जो कि आज भी प्रकरण चालू है जिससे स्पष्ट है कि एक ही प्रकरण की दो कार्यवाहियां सुखराम ने की हुई है जबकि एक ही प्रकरण की दो कार्यवाही नहीं हो सकती मगर इस कानूनी प्रावधान की खिलाफवर्जी करके व कानून को अपने हाथ में लेकर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.03.2022 को रास्ता खुलवाने का आदेश दिया है जो कि गलत व खिलाफ कानूनी होने के कारण निरस्त करने के लायक है।
5. रास्ता खुलवाने के आदेश के बाद अपीलार्थीगण की फसल को पशुओं से कैसे सुरक्षा मिलेगी वर्तमान में फसल कैसे बचेगी इस बाबत प्रार्थी को नुकसान की पूर्ति कैसे होगी इन सब बातों के अभाव से दिनांक 25.03.2022 निरस्त होने लायक है और अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायलाय के आदेश दिनांक 25.03.2022 की पालना स्थगति करवाने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र मय शपथ पेश कर रहे है।
6. चक 15 एलएनपी सैकिण्ड (ए) में मुरब्बा नम्बर 25 व 45 में कभी रास्ता चालु नहीं था इसलिये सुखराम ने अपना प्रार्थना पत्र व बयान में यह नहीं अंकित किया कि यह रास्ता कब बन्द किया गया, किसके सामने बन्द किया गया इस बाबत कोई कथन अपने प्रार्थना पत्र में नहीं लिखा है और ना ही ऐसा स्वयं का या पडौसियों का शपथ पत्र पेश किया जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को हैरान परेशान करने के लिये झूठा प्रार्थना पत्र दिया है और पडौसी ग्राम पंचायत रोटावाली के सरपंचपति से मिलकर सारी कार्यवाही सुखराम ने गलत तरीके से करवाई होने के कारण आदेश दिनांक 25.03.2022 निरस्त होने लायक है।
7. ग्राम पंचायत रोटावाली से ग्राम पंचायत मनफूलसिंहवाला को अलग से रास्ता जाता है जो कि मंजूरशुदा भी है जो अलग से रास्ता मौका पर चालु है उसको साबित करने के लिये अपीलार्थीगण पटवारी द्वारा जारी किया गया नक्शा की फोटो प्रति पेश कर रहे है। ऐसी सूरत में जब नक्शा को देखकर स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

रोटावाली का सरपंचपति सुखराम को ढाल बनाकर यह सारी कार्यवाही कर रहा है और हम अपीलार्थीगण को हैरान परेशान तंग परेशान कर रहा है। ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.03.2022 निरस्त होने योग्य है।

8. अपील अन्दर मियाद पेश की है पूरी कोर्ट फीस पर है तथा श्रीमान न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार की है।
9. चक 15 एलएनपी सैकिण्ड (ए) का मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 5 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 45 का किला नम्बर 5 ता 25 में ना तो कोई रास्ता मंजूर है ना ही चालु है और किला नम्बर 06 में अपीलार्थीगण का पुराना मकान बना हुआ है रास्ता चालु करवाने की सूरत में मकान का मुआवजा कैसे तय होगा उसका कोई हवाला भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में नहीं किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने सुखराम के नाम की इस चक की जमाबन्दी भी पेश नहीं करवाई है जिससे स्पष्ट है कि सुखराम लेण्ड होल्डर नहीं है ऐसी सूरत में दिनांक 25.03.2022 का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.03.2022 खारिज फरमाया जावें ।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपनी बहस में कथन किया कि धारा 251 राजव काश्तकारी अधिनियम सुखचार के पूर्व चले रहे रास्ते को खुलवाने बाबत है जो कि पिछले 30–40 वर्षो से चालू था जिसे 6 माह पूर्व मु.न. 25 के किला नम्बर 05 व मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 5–6 में अपीलार्थीगण द्वारा अवैध निर्माण कर बन्द कर दिया है। ग्राम पंचायत रोटावाली के द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 03 के अनुसार उक्त रास्ता पिछले 50–60 वर्षो से चल रहा था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में प्रकरण संख्या 176/2021 अनवान सुखराम वगैरहा बनाम जसवन्त कुमार वगैरहा प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें आगामी तारीख पेशी 25.03.2022 नियत है। धारा 251–ए के तहत नया रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा धारा 251 में पूर्व में चल रहा रास्ता को खुलवाया जाता है। भू0अ0 निरीक्षक गणेशगढ के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 01.12.2021 के अनुसार चक 15 एलएलपी द्वितीय ए के मुरब्बा नम्बर 5,6,15,16,25 व मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में दिनांक 07.04.2021 को पूर्व में चल रहे रास्ता को जरिये पुलिस जाब्ता सहित मौका पर खुलवाया गया, उक्त रास्ता की भूमि मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 6 में कच्चा पक्का कमरा निर्माण किया है जो लगभग 15 दिन पूर्व में किया हुआ है। अपीलांट का यह कथना की सुखराम लैण्ड होल्डर नहीं है कतई सही नहीं है क्योंकि सुखराम के पिता पैमाराम के नाम से चक चक 15 एलएनपी सैकिण्ड(ए) में भूमि है। सुखराम वगैरा अपने पिता के नाम भूमि दर्ज होने से उसके वारिस होने के कारण विधिक उत्तराधिकारी है। इसलिए रेस्पोडेन्ट लैण्ड होल्डर नहीं है कतई सही नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर का ओदश वहाल रखा जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निम्न नजीरे पेश की :–

1. आर.आर.टी. 2011(2) पेज– 801

   राजस्थान काश्तकारी अधिनियय, 1955 –धारा–251 रास्ते से अवरोध का हटाना– रास्ता पूर्व से ही अस्तित्व में था–निर्णीत, आदेश में अनियमितता अथवा क्षेत्राधिकारिता की त्रुटि नहीं है।

2. आर.आर.टी. 2018(1) पेज–119

   राजस्थन काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा–251–मार्ग से बाधा हटाने का आदेश निगरानी–तर्क कि प्रथम 45 दिनों तक ग्राम पंचायत को क्षेत्रधिकारिता है इसलिये तहसीलदार द्वारा पारित आदेश बिना क्षेत्रधिकारिता के है– अधिसूचना दिनांक 04.09.1982 द्वारा ग्राम की क्षेत्रधिकारिता विलोपित की– निर्णीत, आदेश में क्षेत्रधिकारिता की त्रुटि नहीं है व यथावत रखा।

3. आर.आर.टी. 2019(2) पेज–860

   राजस्थन काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा–251–तहसीलदार ने रास्ता खुलवाने हेतु नायब तहसीलदार को निर्देश दिया–प्रार्थी को

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

नोटिस नहीं दिया व सुनवाई का अवसर नहीं दिया–धारा 251 के अन्तर्गत जन सामान्य प्रार्थना–पत्र पेश नहीं कर सकता–केवल खातेदार अथवा व्यथित प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है–निर्णीत, आदेश अपास्त किया।

अधिवक्ता अपीलांटस् ने अपनी वहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सुखराम पुत्र स्व. श्री पेमाराम को यह रास्ता खुलवाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि सुखराम को इस चक 15 एलएनपी सैकिण्ड(ए) में कोई खातेदारी भूमि नहीं है ऐसी सूरत में सुखराम लेण्ड होल्डर नहीं है। सम्बन्धित ग्राम पंचायत मनफूलसिंहवाला के कार्यालय में रेस्पोडेन्ट सुखराम ने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया और ना ही इस ग्राम पंचायत से सुखराम ने कोई रिपोर्ट हासिल की बल्कि एक अन्य पडौसी ग्राम पंचायत रोटावाली पंचायत समिति सादुलशहर से रिपोर्ट लेकर रास्ता खुलवाने का आदेश दिनांक 25.03.2022 अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया जो गलत व खिलाफ कानून है और निरस्त करने योग्य है। विवादित कृषि भूमि चक 15 एलएनपी सैकिण्ड (ए) की ग्राम पंचायत मनफूलसिंहवाला के वर्तमान सरपंच की रिपोर्ट दिनांक 08.12.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में दिया गया था इस रिपोर्ट दिनांक 08.12.2021 के अनुसार चक 15 एलएनपी सैकिण्ड (ए) के मुरब्बा नम्बर 25 व 45 में से ना तो कोई रास्ता चालु है और ना ही कोई रास्ता मंजूर है, मगर इस रिपोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई जिकर नहीं किया जबकि रास्ता कभी चालु ही नहीं था। रेस्पोडेन्ट सुखराम ने कृषि भूमि में से नया रास्ता मंजूर करवाने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीएक्ट का श्रीमान एसडीओ साहब श्रीगंगानगर के यहां दे रखा है जिसका नम्बर 176/21 अनवानी सुखराम बनाम जसवंत सिंह आदि जिसमें आगामी तारीख पेशी 25.03.2022 नियत थी प्रकरण वर्तमान में भी विचाराधीन है जिससे स्पष्ट है कि एक ही प्रकरण की दो कार्यवाहियां रेस्पोडेन्ट सुखराम ने की हुई है जबकि एक ही प्रकरण की दो कार्यवाही नहीं हो सकती मगर इस कानूनी प्रावधान की खिलाफवर्जी करके व कानून को अपने हाथ में लेकर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.03.2022 को रास्ता खुलवाने का आदेश दिया है जो कि गलत व खिलाफ कानूनी होने के कारण निरस्त करने के लायक है। चक 15 एलएनपी सैकिण्ड (ए) के मुरब्बा नम्बर 25 व 45 में कभी रास्ता चालु नहीं था इसलिये सुखराम ने अपना प्रार्थना पत्र व वयान में यह नहीं अंकित किया कि यह रास्ता कब बन्द किया गया, किसके सामने बन्द किया गया इस बाबत कोई कथन अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया और ना ही इस बाबत कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को हैरान परेशान करने के लिये झूठा प्रार्थना पत्र दिया है। पडौसी ग्राम पंचायत रोटावाली के सरपंचपति से मिलकर सारी कार्यवाही सुखराम ने गलत तरीके से करवाई होने के कारण आदेश दिनांक 25.03.2022 निरस्त होने लायक है। ग्राम पंचायत रोटावाली से ग्राम पंचायत मनफूलसिंहवाला को अलग से रास्ता जाता है जो कि मंजूरशुदा भी है जो अलग से मौका पर चालु है जिसको साबित करने के लिये अपीलार्थीगण द्वारा पटवारी से जारी किया गया नक्शा की फोटो प्रति पेश की है नक्शा को देखकर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत रोटावाली का सरपंचपति सुखराम को ढाल बनाकर यह सारी कार्यवाही कर रहा है और हम अपीलार्थीगण को हैरान परेशान तंग परेशान कर रहा है। ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.03.2022 निरस्त करने का आदेश फरमाया जाकर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जावें।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस निम्न नजीरें पेश कि :–

1. आर.आर.डी. 1985 एनओसी 19

Raj. Tenancy Act. Sec.251 –Order of The. Opening way, set aside by collector on ground that field of applicants was at a distance of 6 miles from disputed land and so alternative passages to road might be available-collector heldl that applicants, not fell within definition of 'land-holder'-Applicants prayedfor passage for going to well and main road at a distance of about 6 miles from their fields which could not be regarded as a sufficient ground for opening way-Passage through fields lof non-applicants would cause hardship to them-Applicants, free to seek remedy from C.C.if wished to acquire rights to use disputed way, as held in 1962 R.R.D.

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,1955–धारा 251– रास्ता खोलने हेतु आवेदन पेश किया–आवेदन में केवल पगडण्डी का उल्लेख किया–अभिवचन नहीं कि वहां 8 फीट का रास्ता था और बन्द किया–नया रास्ता कायम करने हेतु आवेदन तथा धारा 251 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने हेतु तहसीलदार को क्षेत्राधिकारिता नहीं है–निर्णित , आदेश विधिक त्रुटि से ग्रसित है व अपास्त किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2022 विधिसम्मत् प्रतीत नहीं होता है क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के प्रार्थना पत्र एवं ग्राम पंचायत रोटावाली के सरपंच की रिपोर्ट जो कि विवादित भूमि से सम्बन्धित ग्राम पंचायत ही नही के प्रस्ताव पर अधीनस्थ न्यायालय ने कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 47 व 65 चक 15 एलएनपी सैकिण्ड–ए के लिए अपीलार्थीगण की कृषि भूमि चक 15 एलएनपी सैकिण्ड –ए के मुरब्बा नम्बर 45 व 25 के किला नम्बर 05 से 25 में से रास्ता चालू करने का आदेश दिनांक 25.03.2022 को एक तरफा तौर पर पारित किया है जबकि चक 15 एलएनपी सैकिण्ड–ए तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 47 व 65 के लिये पूर्व में ही रास्ता मुरब्बा नम्बर 48 व 47 के किला नम्बर 21 से 25 व फिर 21 से 25 में मन्जूर शुदा है तथा मौका पर चालू है जो हल्का पटवारी 15 एलएनपी सैकिण्ड–ए द्वारा दिये गये नक्शा से प्रमाणित होता है। साथ ही रेस्पोडेन्ट सुखराम ने कृषि भूमि में से नया रास्ता मंजूर करवाने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीएक्ट का श्रीमान एसडीओ साहब श्रीगंगानगर के यहां विचाराधीन जिसका नम्बर 176/21 अनवानी सुखराम बनाम जसवंत सिंह आदि जिसमें आगामी तारीख पेशी 25.03.2022 नियत थी, प्रकरण वर्तमान में भी विचाराधीन है। 251 के तहत रास्ता आपसी सहमति से खुलवाया जा सकता है। विवादित प्रकरण में आपसी सहमति होना प्रमाणित नहीं है क्योंकि उक्त विवादित रास्ता के सम्बन्ध में धारा 251–ए के तहत प्रकरण उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के यहां विचाराधीन है। फलस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2022 निरस्त किया जाता है आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 03.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर।